



2026:AHC:3571

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19740 वर्ष 2025

दिनेश कुमार तिवारी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : संदीप कुमार तिवारी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. तिवारी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव के तर्कों को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 30.11.1977 को ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था, पंचायत सहायक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का भुगतान नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

7 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।